न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

न अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

व अन्तर्गत धाराः- 88, 188 आर.टी.ए.

ग संख्याः- 149/2025

1 कृष्णलाल तंवर पुत्र स्व0 श्री काशीराम पुत्र श्री कानाराम उर्फ काहन सिंह जाति नाई निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रूघवीर तंवर उर्फ रघुवीर पुत्र स्व0 श्री काशीराम पुत्र श्री कानाराम उर्फ काहन सिंह जाति नाई निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

--वादीगण

बनाम्

1 मूर्ति धर्मपत्नी स्व0 श्री काशीराम पुत्र श्री कानाराम उर्फ काहन सिंह जाति नाई निवासी भारूखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।

2 कैलाश पुत्री स्व0 श्री काशीराम धर्मपत्नी श्री दीवानचन्द जाति नाई निवासी भारूखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।

3 कैलाश देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री काशीराम पुत्र श्री कानाराम उर्फ काहन सिंह जाति नाई निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 पूनम पुत्री स्व0 श्री काशीराम धर्मपत्नी श्री राकेश जाति नाई निवासी गोगामेड़ी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

5 मंजू पुत्री स्व0 श्री काशीराम धर्मपत्नी अनिल जाति नाई निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री लालचंद वर्मा - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री राजेशदीप राय - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2
3. सुश्री संदीप कौर - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 ता 5
4. राज पैरोकार

-:निर्णयः-

दिनांक 17.01.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण ने यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि चक 6 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता सख्या 31/18 सम्वत 2077-2080 के पत्थर नंबर 92/270 (66) किला नंबर 25/2/0.228, पत्थर नंबर 92/271 (74) किला नंबर 4/1/0.240, 5/1/0.228, 5/2/0.025, पत्थर नंबर 93/270 (65) किला नंबर 19 से 23 व पत्थर नंबर 93/271(75) किला नंबर 1 से 3, 8, 13/2/0.202 कुल 3.453 है0 भूमि उनके पिता काशीराम पुत्र काहन सिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस भूमि के संबंध में श्री काशीराम ने एक पंजीकृत दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 02.01.2018 वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवाया हुआ है। श्री काशीराम पुत्र श्री कानाराम उर्फ काहन सिंह का दिनांक 21.12.2024 को देहांत हो चुका है तथा उनकी वसीयत के मुताबिक उक्त वर्णित 3.453 हैक्टेयर भूमि वादीगण की बहिस्सा बराबर की खातेदारी है जो उनके आधिपत्य व धारण में है। वादीगण राजकीय सेवा में होने के कारण इस भूमि से दूर अपने पदो पर पदस्थापित है तथा इस बात का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण उक्त भूमि में वादीगण के आधिपत्य व धारण में दखलअंदाजी देने की धमकी दे रहे है तथा उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम अंकित करवाकर इस भूमि को रहन, बैय एवं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

रित करने को कटिबद्ध है। उक्त कथन करते हुए अपीलाण्ट ने उक्त वर्णित भूमि में बहिस्सा बराबर का दार घोषित किए जाने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1, की ओर से अधिवक्ता राजेशदीप राय व प्रवितादी सं. 3 ता 5 की ओर से अधिवक्ता संदीप कौर ने गलतनामा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने दावा में राजीनामा पेश किया जो बाद दीक शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। राने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक वाद व राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध तावेजों व राजीनामा के आधार पर वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

तः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:-

- **वादी संख्या 1 कृष्णलाल तंवर पुत्र स्व0 श्री काशीराम :-**
चक 6 एसटीजी प.नं. 93/270 मु.नं. (65) कि.न. 18/0.070 (पश्चिमी) 19, 20 कुल 0.576 हैक्टेयर।

ब- **वादी संख्या 2 रूघवीर तंवर उर्फ रघुवीर पुत्र स्व0 श्री काशीराम :-**
चक 6 एसटीजी प.नं. 93/270 (65) कि.न. 18/0.183 (पूर्वी) 21 से 23 कुल 0.942 हैक्टेयर प.न. 93/271 (75) कि.न. 1/0.089 (पूर्वी), 2, 3, 8, 13/2/0.202 कुल 1.050 हैक्टेयर महाकुल 1.992 हैक्टेयर।

- **वादिया संख्या 2 कैलाश पुत्री स्व0 श्री काशीराम धर्मपत्नी श्री दीवानचंद**
चक 6 एसटीजी प.न. 92/270 (66) कि.न. 25/2/0.228 कुल 0.288 हैक्टेयर प.न. 92/271 (74) कि.न. 4/1/0.240, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु.रास्ता कुल 0.493 हैक्टेयर प.न. 93/271 (75) कि.न. 1/0.164 (पश्चिमी) कुल 0.164 हैक्टेयर महाकुल 0.885 हैक्टेयर। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु. /गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोट:- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ